न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 15 / अपील / 2022 (GCMS No. 2022 / 30)	16.03.2022	10.03.2025

1. गुलशन बेवा पुष्प खाँ जाति मुसलमान निवासी खैरोली, तह.तालेडा
2. सलीम मोहम्मद आ.. पुष्प खाँ जाति मुसलमान नि.खैरोली, तह.तालेडा
3. हकीम मोहम्मद आ. पुष्प खाँ जाति मुसलमान नि.खैरोली, तह.तालेडा

– अपीलांटस

बनाम

1. बहादुर खां आ. रमज्या जाति मुसलमान निवासी खैरोली, तह.तालेडा
2. अमतूल पुत्री रमज्या पत्नी नन्हा जी बूगडिया जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा, तह.तालेडा
3. नबी हुसैन आ. इस्लाम मोहम्मद खिलची जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा, तह.तालेडा
4. शकीला पुत्री इस्लाम मोहम्मद खिलची पत्नी अब्दुल कय्युम जाति मुसलमान निवासी डाबला, तहसील हिण्डोली
5. अब्दुल रहमान आ. इस्लाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा, तह.तालेडा
6. उलफत पुत्री इस्लाम मोहम्मद खिलची पत्नी मुन्ना अली जाति मुसलमान डाबला पुलिया डाबला, तह. हिण्डोली
7. सद्दाम आ. इस्लाम मोहम्मद खिलची जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा, तह. तालेडा
8. रमजान आ. बरकत जाति मुसलमान निवासी अलोद पुलिया, अलोद, तह. हिण्डोली
9. नसीर हुसैन आ. बहादुर खां सगरावता जाति मुसलमान निवासी जमीतपुरा तह.तालेडा
10. यासीन बानों पुत्री बतुल जाति मुसलमान निवासी अलोद पुलिया, अलोद, तह. हिण्डोली
11. जमीला पुत्री पुष्प खां पत्नी लतीफ मोहम्म्द जाति मुसलमान निवासी खोला मोहल्ला, जहाजपुर जिला भीलवाडा
12. मदीना पुत्री पुष्प खां पत्नी रईस मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खारा कुआं के पास, बोरखेडा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

जिला कलक्टर, बून्दी

13.नफीसा पुत्री पुष्प खां पत्नी शाकिर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी काला तालाब, कोटा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
14.शमीम उर्फ रफीकन पुत्री पुष्प खां पत्नी सिकन्दर उर्फ बन्टी जाति मुसलमान निवासी नई आबादी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
15.शबनम पुत्री पुष्प खां पत्नी सादिक हुसैन जाति मुसलमान निवासी अलोद पुलिया, अलोद तहसील हिण्डोली
16. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री नवेद केसर, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1,2,10 लगायत 15 की ओर से सुश्री शाहिस्ता परवीन एड0
रेस्पो.सं. 3 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पो. सं. 16 की ओर से पेरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 462 दिनांक 01.10.2021 (स्वीकृत 06.10.2021) ग्राम खैरोली से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार रमज्या के वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 15/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/30 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। इसी दौरान प्रार्थी चन्दालाल आ.सेवाराम रेगर निवासी कोटा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि अपील विषयक भूमि में से खातेदार बरकत पुत्री रमज्या से उसका 1/4 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2006 से खरीद किया है, उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध, शून्य एवं निरस्त घोषित नहीं किया गया है, ऐसे में अपील में उसको पक्षकार बनाया जावे। बाद सुनवाई उभयपक्ष अपील में वारिसान द्वारा चाहा गया अनुतोष मृतक खातेदार रमज्या की विरासत के संबंध में होने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी दिनांक 18.06.2024 को खारिज किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 43 रकबा 0.0324 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 44 रकबा 2.4929 हैक्टेयर वाके ग्राम खैरोली पटवार हल्का बल्लोप तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है उक्त कृषि भूमियान रमज्या पुत्र करीम खां जाति मुसलमान के खाते में दर्ज थी तथा खातेदार रमज्या पुत्र करीम खां का देहान्त हो चुका है। मृतक रमज्या के दो पुत्र पैदा हुये जो क्रमशः पुष्प खां व बहादुर खां है। बहादुर खां रेस्पो0 सं.1 है तथा पुष्प खां की मृत्यु हो चुकी है, अपीलान्ट सं. 1 पुष्प खां की पत्नी है तथा अपीलांट 2 व 3 पुष्प खां के पुत्र है। मृतक रमज्या के तीन पुत्रियां पैदा हुई जो क्रमशः अमतूल, बरकत व बतूल है जिनमें से बरकत व बतूल फोत हो चुकी है। मृतक बरकत के वारिसान रेस्पो0 सं. 3 लगायत 8 है तथा मृतक बतूल के वारिसान रेस्पो.सं.9 व 10 है, जबकि रेस्पो.सं.11 लगायत 15 पुष्प खां की पुत्रियां है। मृतक रमज्या के देहान्त के उपरान्त फोती नामान्तकरण मुस्लिम कानून के अनुसार 2/3 हिस्से पर मृतक रमज्या के पुत्रों के नाम तस्दीक किया जाना था तथा 1/3 हिस्सा मृतक रमज्या की पुत्रियों के नाम तस्दीक किया जाना था लेकिन उक्तानुसार नामान्तरकरण तहसीलदार तालेडा द्वारा दर्ज नहीं किया गया। इस कारण उक्त कृषि भूमि के संबंध में पूर्व में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 158 के विरूद्ध इस न्यायालय में एक अपील मिसल संख्या 82/2013 बउनवान मोसिना बनाम पुष्प खां वगै0 दायर की गई थी, जिसमें दिनांक 21.07.2014 को फैसला सुनाया जाकर अपील अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर देकर फैसला किये जाने हेतु रिमाण्ड की गई थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश बावजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 462 में पूर्व का ही आदेश जारी कर मृतक रमज्या के पुत्र–पुत्रियों के पक्ष में 1/5, 1/5 हिस्सा बराबर दर्ज किये जाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व स्व. रमज्या के वारिसानों के संबंध मे कोई जांच नहीं की गई, बिना जांच किये हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने में कानूनी भूल की है। उक्त कृषि भूमि पर मृतक रमज्या के पुत्र पुष्प खां के वारिसान 1/3 हिस्से पर एवं बहादूर खां 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे बाबत कोई जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को कोई सूचना नहीं दी गई और बिना सूचना दिये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण आदेश की जानकारी कम्प्यूटर से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुई, तब अपीलांट द्वारा नकल हेतु आवेदन किया तथा नामान्तरकरण की नकल दिनांक 23.02.2022 को प्राप्त होते ही अपील अन्दर अवधि पेश की गई है, फिर भी देरी मानी जावे तो देरी माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं मृतक रमज्या के पुत्र पुष्प खां के वारिसान का 1/3 हिस्सा, बहादूर खां का 1/3 हिस्सा एवं रमज्या की पुत्रियां अमतूल, बरकत, बतूल के वारिसान का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा खाते की जमाबंदी की नकल निकलवाने पर दिनांक 17.02.2022 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होते ही नकल दिनांक 23.02.2022 को प्राप्त कर हस्तगत अपील दिनांक 15.03.2022 को पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा में विस्थित आराजी खसरा सं. 43 रकबा 0.0324 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 44 रकबा 2.4929 हैक्टेयर भूमि का खातेदार रमज्या पुत्र करीम खाँ मुसलमान था। खातेदार रमज्या का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 462 दिनांक 06.10.2021 को उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि खातेदार रमज्या मुसलमान होने से उसका विरासत का नामान्तकरण मुस्लिम कानून के अनुसार दर्ज नहीं किया गया, जो मुस्लिम कानून के अनुसार पुत्रों का 2/3 हिस्सा एवं पुत्रियों का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 21.07.2014 की छायाप्रति के अवलोकन से प्रकट है कि अपील संख्या 82/2013 बउनवान मोहसीना बनाम पुष्प खां वगै. नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 27.05.2000 वाकेग्राम खैरोली के मृतक खातेदार रमज्या की मृतक पुत्री बतूल के वारिसान अपीलांटस का नाम उक्त नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किये जाने से उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध दायर की गई थी। इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील निर्णय दिनांक 21.07.2014 से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर पक्षकारान की सुनवाई कर नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त रिमाण्ड प्रकरण के संदर्भ में अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 40(क) के अनुसार उत्तराधिकार पर स्वीय विधि (परसनल लॉ) लागू होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 133 के तहत उक्तानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही के प्रावधान किये हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.07.2014 की पालना में नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार बाद सुनवाई पक्षकारान आदेश पारित कर नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों का भलीभांति अवलोकन नहीं किया गया तथा मृतक खातेदार रमज्या मुस्लिम विधि से शासित होने के बावजूद खातेदार के वारिसान के पक्ष में बराबर हिस्से पर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया, जो विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से विधिसम्मत नहीं है। ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 462 दिनांक 06.10.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि प्रकरण में मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर सभी हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रावधानों (मुस्लिम लॉ) की पालना में विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाकर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी